



- अवधारणा: फ्लड-प्लेन जोनगि की मूल अवधारणा बाढ़ से होने वाले नुकसान को सीमिति करने के लिये बाढ़ के मैदानों में भूमि उपयोग को नयितरति करना है।
- वकिसात्मक गतविधियों का नरिधारण: इसका उद्देश्य वकिसात्मक गतविधियों के लिये स्थानों और कषेत्रों की सीमा को इस तरह से नरिधारति करना है कि नुकसान कम-से-कम हो।
- सीमाओं में वृद्धि: इसमें असुरकषति और संरकषति दोनों कषेत्रों के वकिस पर सीमाएँ नरिधारति करने की परकिलपना की गई है।
  - असुरकषति कषेत्रों में अंधाधुंध वकिस को रोकने के लिये उन कषेत्रों में वकिसात्मक गतविधियों पर परतबिंध लगाकर उनकी सीमाओं का नरिधारण करना।
  - संरकषति कषेत्रों में केवल ऐसी वकिसात्मक गतविधियों की अनुमति दी जा सकती है, जनिमें सुरकषात्मक उपाय वफिल होने की स्थिति में भारी कषति न हो।
- उपयोगति: जोनगि मौजूदा स्थितियों का समाधान नहीं कर सकती है, हालाँकि यह नश्चिति रूप से नए वकिस कषेत्र में बाढ़ से होने वाली कषति को कम करने में मदद करेगी।
  - फ्लड-प्लेन जोनगि न केवल नदियों द्वारा आने वाली बाढ़ के मामले में आवश्यक है, बल्कि यह वशिष रूप स्त्राहरी कषेत्रों में जल जमाव से होने वाले नुकसान को कम करने में भी उपयोगी है।
- बाढ़ की संवेदनशीलता:
  - भारत के उच्च जोखमि और भेदयता को इस तथ्य से आकलति कयिा गया है कि 3290 लाख हेक्टेयर के भौगोलकि कषेत्र में से 40 मलियन हेक्टेयर कषेत्र बाढ़ प्रवण कषेत्र है।
  - बाढ़ के कारण परतविरष औसतन 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावति होती है तथा लगभग 1600 लोगों की मृत्यु हो जाती है एवं इसके कारण फसलों व मकानों तथा जन-सुवधियों को होने वाली कषति 1805 करोड़ रुपए है।
- फ्लड-प्लेन जोनगि के लिये मॉडल ड्राफ्ट बलि:
  - परचिय: यह बलि/वधियक बाढ़ कषेत्र प्राधकिरण, सरवेकषण और बाढ़ के मैदानी कषेत्र के परसीमन, बाढ़ के मैदानों की सीमाओं की अधसूचना, बाढ़ के मैदानों के उपयोग पर परतबिंध, मुआवजे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जल के मुक्त प्रवाह को सुनश्चिति करने के लिये इन बाधाओं को दूर करने के बारे में प्रवषिटि प्रदान करता है।
    - इसके तहत बाढ़ प्रभावी कषेत्रों के नचिले इलाकों के आवासों को पार्कों और खेल मैदानों में परतस्थापति कयिा जाएगा क्योंकि उन कषेत्रों में मानव बसूती की अनुपस्थिति की वजह से जान-माल की हानि में कमी आएगी।
  - कार्यानवयन में चुनौतियाँ:
    - संभावति वधियी प्रकरयिा के साथ-साथ बाढ़ के मैदान प्रबंधन हेतु वभिनिन पहलुओं का पालन करने के दृष्टिकोण में राज्यों की ओर से परतरिध कयिा गया है।
      - राज्यों की अनच्छिा मुख्य रूप से जनसंख्या दबाव और वैकल्पकि आजीवकिा प्रणालियों की कमी के कारण है।
    - बाढ़ के मैदानों के नयिओं को लागू करने और लागू करने के परतरि राज्यों की उदासीन परतकिरयिा न्नाढ़ कषेत्रों के अतकिरण में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जसिमें कभी-कभी अधकृत और नगर नयिोजन अधकिारयिों द्वारा वधिवित अनुमोदति अतकिरण के मामले देखने को मलिते हैं।
- संबंधति संवेधानकि प्रावधान और अन्य उपाय:
  - सूची II (राज्य सूची) की प्रवषिटि 17 के रूप में जल नकिसी और तटबंधों/बाँधों को शामिल करने के आधार पर, "अंतर-राज्यीय नदियों एवं नदी के वनियमन और वकिस" के मामले को छोड़कर, बाढ़ नयितरण कार्य राज्य सरकार के दायरे में आता है। 'घाटियों', का उल्लेख सूची I (संघ सूची) की प्रवषिटि 56 में कयिा गया है।
    - फ्लड-प्लेन जोनगि राज्य सरकार के दायरे में है क्योंकि यह नदी के किनारे की भूमि से संबंधति है और सूची II की प्रवषिटि 18 के तहत भूमि राज्य का वषिय है।
    - केंद्र सरकार की भूमकिा केवल परामर्रश देने तथा दशिा-नरिदेश के नरिधारण तक ही सीमिति हो सकती है।
  - संवधान में शामिल सातवीं अनुसूची की तीन वधियी सूचियों में से कसिी में भी बाढ़ नयितरण और शमन (Flood Control and Mitigation) का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं कयिा गया है।
  - वर्ष 2008 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधकिरण (National Disaster Management Authority- NDMA) ने बाढ़ को नयितरति करने के लिये एक महत्वपूर्ण "गैर-संरचनात्मक उपाय" के रूप में बाढ़ के मैदान कषेत्र के लिये राज्यों को दशिा-नरिदेश जारी कयिा है।
    - इसने सुझाव दयिा कि ऐसे कषेत्र जहाँ 10 वर्षों में बाढ़ की आवृत्ति के कारण प्रभावति होने की संभावना है, उन कषेत्रों को पार्कों, उद्यानों जैसे हरे कषेत्रों के लिये आरकषति कयिा जाना चाहयि तथा इन कषेत्रों में कंक्रीट संरचनाओं (Concrete Structures) की अनुमति नहीं दी जानी चाहयि।
    - इसमें बाढ़ के अन्य कषेत्रों के बारे में भी बात की गई जैसे- 25 साल की अवधि में बाढ़ की आवृत्ति वाले कषेत्रों में राज्यों को उन कषेत्र-वशिषिटि योजना बनाने के लिये कहा गया।

## आगे की राह

- चूँकि बाढ़ से हर साल जान-माल की बड़ी कषति होती है, इसलिये समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दीर्घकालकि योजना तैयार करें जो बाढ़ को नयितरति करने हेतु तटबंधों के नरिमाण तथा डरेजगि जैसे उपायों से बढ़कर हो।
- एक एकीकृत बेसनि प्रबंधन योजना (Integrated Basin Management Plan) की आवश्यकता है जो सभी नदी-बेसनि साझा करने वाले देशों के साथ-साथ भारतीय राज्यों को भी जोड़े।
- राज्य सरकार को फ्लड-प्लेन जोनगि कानून के लिये मॉडल ड्राफ्ट बलि (Model Draft Bill) को लागू करना चाहयि।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

